(175)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंण्डल महोदय ग्वालियर,म0प्र0

निगरानी - 9254 - I-16

प्र0क0 निगरानी

कैलाश नारायण पुत्र श्री देव लाल काछी,जाति काछी निवासी मोहनपुरा,तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर,म0प्र0
—आवेदक

बनाम

1—श्रीगणेश प्रसाद शिक्षा संस्थान विजयपुर, जिला श्योपुर द्वारा उपाध्यक्ष, पदम सिंह रावत पुत्र श्री इन्दर लाल रावत, निवासी ग्राम सुनवई, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर,म0प्र0

2—अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना,म0प्र0।
—अनावेदकगण .

15-11-16

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म0प्र0भू.रा.संहिता

513
15-11-16

श्रीमान्‌जी,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्नप्रकार प्रस्तुत है :—

1. यह कि अनावेदक कमांक—1 द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग,मुरैना के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश दिनांक 28.05.2012 के विरूद्ध लगभग ढाई वर्ष पश्चात दिनांक 28.12.2014 को आवेदक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो कि प्रकरण कमांक 82/2014—15 पर लम्बित है।
2. यह कि उक्त अपील में अनावेदक श्री गणेश शिक्षा संस्था द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया जिस आवेदक को माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा धारा 5 के आवेदन का निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। अपने आदेश दिनांक 23.06.2016 में यह उल्लेख किया है कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जावेगा, जो कि न्यायोचित नहीं है।
3. यह कि उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा तहसील न्यायालय विजयपुर से मूल प्रकरण को तलब किया गया था लेकिन तहसील न्यायालय के प्रवाचक द्वारा यह टीप लगाई गई कि प्रकरण न तो प्रवाचक के पास है और ना हीं प्रकरण जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध है। उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9254–एक/16 जिला –श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
20.6.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप शर्मा उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 29 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश दिनांक 28.5.12 के विरूद्व लगभग ढाई वर्ष पश्चात दिनांक 28.12.14 को आवेदक के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है जो प्रकरण कमांक 82/2014–15 पर लंबित है। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा संहिता 29 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनावेदक श्री गणेश शिक्षा संस्थान विजयपुर जिला श्योपुर द्वारा प्रस्तुत धारा–5 अविध विधान का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है उनके द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 23.6.16 में यह उल्लेख किया है कि धारा –5 अवधि विधान का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जावे। 3– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा धारा 29 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने एवं अवधि विधान की धारा –5 का	

निराकरण किये जाने का निवेदन किया हैं अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपनी आदेश पत्रिका में लेख किया है कि "संहिता की धारा–5 अवधि विधान के आवेदन का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जावेगा"। वैसे भी अपर आयुक्त को धारा –5 के आवेदन का निराकरण पहले कराना चाहिये।

4– उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विविध आवेदन आशिंक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि संहिता की धारा–5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का निराकरण करते हुये हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये निराकरण किया जावे जिससे हितबद्व पक्षकार को न्याय मिल सके। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिला दर्ज हो।

सदस्य